ग्राम पंचायत बहडाला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बहडाला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बहडाला में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रमेश चन्द	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रवि कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बहडाला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4 (घ)	रोकड़ बही व बैंक खातों में भारी अन्तर	0.69
2)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	34.17
3)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.20
4)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.22
5)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	3.39
6)	8.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	2.91
7)	8.3	बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.12
8)	8.4	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.06

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बहडाला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अश्वनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 19.12.2023 से 22.12.2023 तक ग्राम पंचायत बहडाला के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	08/2021	03/2022
2022-23	03/2023	07/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत बहडाला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364/2023 दिनांक 22/12/2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत बहडाला द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बहडाला के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 441586 दिनांक 02/01/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत बहडाला द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 353/2023 दिनांक 20.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), 14वां वित्तायोग, इन्दिरा आवास योजना / मुख्य मंत्री आवास योजना, 15वां वित्तायोग (Online), मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2021-22	2807145.83	5071832	7878977.83	4571595	3307382.83
2	2022-23	3307382.83	7671593	10978975.83	7561930	3417045.83

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बहडाला के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹69469.30** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	3417045.83
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3485975.13**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	540.00
4)	**योग (2+3)**	**3486515.13**
5)	**अन्तर (1-4)**	**69469.30**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB BEHDALA (Own & GIA)	20013012661	1953197.83
2	KCCB BEHDALA (MMAY)	50065669316	1921.00
3	AU Finance Bank Una(Own & GIA)	2181238734211078	2590.00
4	HDFC BEHDALA (15TH FC)	50100335540589	1524482.30
5	HDFC BEHDALA (14TH FC)	50100079021512	3784.00
		योग	**3485975.13**
		हस्तगत राशि	540.00
		योग (1+2)	**3486515.13**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी। खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका । अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.69 लाख का भारी अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को निम्न विवरणानुसार शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹69469.30** का अन्तर पाया गया। अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356/2023 दिनांक 20/12/2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 41 दिनांक 22/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2023 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर**
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	1930405.83	1956327.83	25922.00

2	14वां वित्तायोग	0.00	3784.00	3784.00
3	15वां वित्तायोग	1484719.00	1524482.30	39763.30
			कुल अंतर	**69469.30**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 353/2023 दिनांक 20.12.2023 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 43 दिनांक 22/12/2023 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹34.17 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 353/2023 दिनांक 20.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹**3417045.83/- की राशि उपयोग हेतू शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 353/2023 दिनांक 20.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 43 दिनांक 22/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए |

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 353/2023 दिनांक 20.12.2023 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 43 दिनांक 22/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे| अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 (क) पंचायत राजस्व गृहकर ₹1.20 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 353/2023 दिनांक 20.12.2023 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 43 दिनांक 22/12/2023 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन

करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹120350/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2021-22	177300	63150	240450	183000	57450
2022-23	57450	63150	120600	250	120350

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 मोबाइल टावर शुल्क ₹0.05 लाख की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 353/2023 दिनांक 20.12.2023 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग**) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को **निम्न विवरणानुसार** मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹**5000/-** वसूली हेतु शेष थी, जिसे सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 व Right of way policy – 2021 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या: DIT-FO5(23)/1/2017-I.T. Section –GOHP, दिनांक 09.02.2021 के अनुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है। अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | अत: मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

वर्ष	कम्पनी का नाम / टावरों की संख्या	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	BSNL 1	00	5000	5000	00	5000
2022-23	BSNL 1	5000	00	5000	00	5000

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.22 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹22400/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2021-22	10400
2	2022-23	12000
	योग	**22400/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 358/2023 दिनांक 21.12.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 49 दिनांक 22/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।